सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00055

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री जाकमदीन पुत्र श्री नजरखां (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
मै0 शाही मिल्क डेयरी गांव दयालपुर तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर।
निवासी :– गांव दयालपुर तहसील किशनगढ बास जिला अलवर

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2)/52

निर्णय **दिनांक : 18.07.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया हैं।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.03.2019 को दोपहर पूर्व 11.00 बजे डा, पुष्पेंद्र कुमार, जिला प्रोग्राम ऑफिसर (AIDS Control) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर से प्राप्त तहारीर दिनांक 15.03.2019 के क्रम में वास्ते चैंकिग पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के परिसर पहुँचे। वहां पर श्री जाकमदीन पुत्र श्री नजर खां उम्र 39 वर्ष निवासी गांव दयालपुर तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर मय खाद्य पदार्थ Cake के 84 गत्ता पैकिंग (प्रत्येक 3 कि.ग्रा.) जो कि गत्ते के 6 कार्टनों में रखे थे, के साथ उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त Cake का निरीक्षण किया जो आमजन को विक्रय हेतु रखे हेतु बताया। मिलावट/ नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **के–957** के नमूनीकरण के लिए एक प्लेट में 2.0 किलो ग्राम Cake खरीदा। जिसकी कीमत 300/–रूपये (अखरे तीन सौ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री डा. पुष्पेन्द्र कुमार एवं अल्का बिश्नोई उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। शेष बचे Cake की पैकिंग को विक्रता ने स्वयं की सहमति से प्रकरण निस्तारण तक Cold Storage में रखवाकर विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर Cake विक्रेता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्री जाकमदीन पुत्र श्री नजर खां एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Cake को बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–957** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–957** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4--4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विकता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी. एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/862/एक्ट/2019/621 दिनांक 15.04.2019 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–957** Cake **अमानक स्तर MISBRANDED** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जाकमदीन पुत्र श्री नजरखां **मै0**, शाही मिल्क डेयरी गांव दयालपुर तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर द्वारा अमानक स्तर Cake का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26(2)(2)/52** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री जाकमदीन पुत्र श्री नजर खां (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस Cake का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **MISBRANDED** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त Cake में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा । प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Cake का सैम्पल **के–957** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/862/ एक्ट/2019/621 दिनांक 15.04.2019 द्वारा **MISBRANDED** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26(2)(2)/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त श्री जाकमदीन पुत्र श्री नजर खां (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपनी बहस में जवाब को दोहराते हुए कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस Cake का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **MISBRANDED** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त Cake में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा । प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 15.04.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किय। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात Cake विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों जाकमदीन पुत्र श्री नजरखां (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर **Food Safety and Standards (FOOD PRODUCTS STANDARDS AND FOOD ADDITIVE) Regulaation 2011 के** Regulation No.2.12.1. **MISBRANDED** Cake का विक्रय करने पर धारा 26**(2)(2)/52** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 10000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है जो उसके द्वारा रसीद नम्बर 0017 बुक नम्बर 053371 दिनांक 18.07.2019 द्वारा जमा करवा दी गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त Cake का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर